"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 30, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/2002/1-7.—राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि, नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) **नियम-4 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—**

"रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार) प्रतिमाह सम्मान निधि स्वीकृत की जाएगी"

(2) **ये दिसम्बर, 2012 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त होगा.**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

